## नियम 69 : निरीक्षण की अनुमति के लिए आवेदन

(1) नियम 67 के अधीन अभिलेख के निरीक्षण के लिए आवेदन, किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे के बीच और निरीक्षण की मांग की तारीख से दो दिन पहले रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया जाएगा, जब तक रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।

(2) रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी टिप्पणियों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी, जो उस पर विचार करने के पश्चात् उचित आदेश पारित करेगा।

(3) किसी लंबित मामले के अभिलेखों का निरीक्षण सामान्यतः मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख या पूर्ववर्ती दिन को नहीं किया जाएगा।